Sl. No.	1991-96 Instance	Sl. No.	1996-97 Instance
	without any competence and in violation of KVS Rules etc.		
3.	Arbitrary transfers promotional postings & recruitment in total disregard of relevant guidelines Instances are an army.	3.	Depriving promotees, having less than 3 years on service of their entitlement to be posted in the hometown or adjoining place during 1996-97 Session.
4.	Victimisation of those who wrote open letters to the then Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, praying for instituting a probe to investigate the above wrongs.	4.	Shielding the accused officers of Kendriya Vidyalaya Sangathan and not ordering any probe even after an assurance in the Rajya Sabha.

ऐलोपैथिक दवाओं की कीमतों में वृद्धि

*351. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान ऐलोपैथिक दवाओं की कीमतों में 1500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या अनेक निर्धन लोग इसलिए मर जाते हैं, क्योंकि वे दवाओं की अत्यधिक ऊंची कीमतों के कारण उन्हें खरीद नहीं सकते; और

(ग) दवाओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ग) गत 15 वर्षों के दौरान औषधों और दवाइयों की थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) (1980-81 = 100) में अन्य सभी वस्तुओं में वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि हुई है। जिन रोगों से मुख्यतः निर्धन लोग पीड़ित होते हैं, वे अधिकांशतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल हैं, वहां राज्य सरकारों के माध्यम से आवश्यक औषधें मुफ्त सप्लाई की जाती हैं। उचित कीमत पर औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार समय-समय पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश की घोषणा करती रही है। चालू आदेश औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 6 जनवरी 1995 को घोषित किया गया था। इस समय "औषध नीति, 1986 में संशोधन" के पैरा 22.7.2 में निहित मानदंडों के अनुसार 74 औषधों तथा उनके सूत्रयोगों का पता लगाया गया है, जो कीमत नियंत्रण के अन्तर्गत हैं। अधिक प्रतियोगी और उचित कीमतों पर औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पांच मदों को छोड़कर भेषज क्षेत्र को पूरी तरह लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। इससे और अधिक कंपनियां भेषज सेक्टर में आने के लिए प्रोत्साहित होंगी।

Prohibition of sale of common salt

*352. SHRI PRAFULL GORADIA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have prohibited the sale of common salt;

(b) whether Government are aware that there is widespread dissatifaction over this decision to prohibit sale of salt especially in Gujarat, the main salt-producing State;